

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि० से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं०: 8544412079
हाजीपुर, वैशाली: 844102
E-mail: deovaishali.edn@gmail.com,
deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा शिक्षक की उपस्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि काफी संख्या में शिक्षक लंबे समय से बिना स्वीकृत अवकाश के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं, जबकि पूर्व में कार्यालय के द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है कि मुख्यालय छोड़ने से पूर्व कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है। याद रहे आप सबों की नियुक्ति विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु की गई है। शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन बाधित हुआ है, जिसके लिए उक्त सभी शिक्षकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी अति आवश्यक है। वैसे सभी शिक्षक जो बिना स्वीकृत अवकाश के (मातृत्व अवकाश एवं चिकित्सीय परिस्थिति को छोड़कर) 60 दिनों से अधिक से अनुपस्थित हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय अवधि में दिनांक 10.09.2026 को अनुपस्थित रहने का कारण साक्ष्य सहित स्वयं उपस्थित होकर स्पष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी, अन्यथा की स्थिति में दिनांक 12.09.2026 को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर सेवा समाप्ति की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कार्यालय एवं ऑनलाइन ई-शिक्षकोष के माध्यम से लगातार शिशु देखभाल अवकाश हेतु शिक्षिकाओं के द्वारा आवेदन किया जा रहा है। शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने हेतु पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 227, दिनांक 03.02.2026 एवं पत्रांक 887, दिनांक 06.05.2026 के द्वारा निर्देश निर्गत किया जा चुका है। बावजूद इसके, उक्त नियमों का अनुपालन न करते हुए शिशु देखभाल अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा रहा है, जो विधिसम्मत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अपने पूरे सेवा काल में 730 दिन का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग किया जा सकता है, जो केवल जीवित दो संतान जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, तक के लिए लिया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश किसी शिक्षक का अधिकार नहीं है। अवकाश सक्षम प्राधिकार के विवेकानुसार स्वीकृत करने का विभागीय प्रावधान है।

उक्त आलोक में ई-शिक्षकोष के माध्यम से शिशु देखभाल अवकाश हेतु आवेदन करने से पूर्व आप सभी को स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह अवकाश कार्यालय के द्वारा केवल आपके जीवित दो संतान के अत्यधिक चिकित्सीय परिस्थिति/बोर्ड परीक्षा हेतु ई-शिक्षकोष के माध्यम से उपलब्ध कराए साक्ष्य के साथ आवेदन के आलोक में ही स्वीकृत किया जाएगा, इसके अतिरिक्त वैसे सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं करना, नियमों की अनदेखी कर जानबूझकर उल्लंघन करना इत्यादि को गंभीरता से लिया जाएगा। ध्यान रहे कि कोई भी शिक्षक/शिक्षिका बिना कार्यालय की अनुमति के आकस्मिक अवकाश/विशेष अवकाश को छोड़कर किसी अन्य अवकाश पर अनाधिकृत रूप से जाते हैं (चिकित्सीय परिस्थिति को छोड़कर), तो नियमानुसार उन्हें निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर सेवा समाप्ति की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

शिशु देखभाल अवकाश / मातृत्व अवकाश / पितृत्व अवकाश / अवैतनिक अवकाश आवेदन करने हेतु पत्र के साथ प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। ध्यान रहे कि कार्यालय के द्वारा अवकाश स्वीकृत करने के पश्चात्, कार्यालय में सेवा पुस्तिका संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि उक्त अवकाश का अंकन किया जा सके।

ज्ञापांक:- 2438

प्रतिलिपि:-

1. सभी शिक्षक/शिक्षिका, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक:- 08.10.2026

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।

ई-शिक्षकोष पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन करने हेतु प्रारूप
(शिशु देखभाल अवकाश / मातृत्व अवकाश / पितृत्व अवकाश / असाधारण / अवैतनिक अवकाश हेतु आवेदन)

1. विद्यालय का नाम	
2. प्रखंड का नाम	
3. शिक्षक का नाम	
4. ई-शिक्षकोष आईडी संख्या	
5. विद्यालय में कुल कितने शिक्षक पदस्थापित हैं	
6. विशिष्ट शिक्षक / प्रधान शिक्षक / विद्यालय अध्यापक / प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान की तिथि	
7. अवकाश का प्रकार	
8. सेवा में आने की तिथि से यह अवकाश पूर्व में कितने दिनों का उपभोग किया गया है?	

9. जीवित संतान का विवरण (अगर लागू हो तो):

क्र.सं.	संतान का नाम	जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)
1		
2		
3		
4		

10. अवकाश की अवधि (कब से कब तक)	दिनांक से तक
11. कुल दिन	 दिन
12. यह अवकाश किस संतान के लिए लिया जा रहा है, प्रथम या द्वितीय? (अगर लागू हो तो)	

13. अवकाश की आवश्यकताओं का कारण विस्तार में:

14. संलग्न साक्ष्य का विवरण:

.....
शिक्षक का हस्ताक्षर एवं तिथि

प्रधानाध्यापक की अनुशंसा

मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। उक्त शिक्षक/शिक्षिका के अवकाश पर रहने से पठन-पाठन बाधित होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त शिक्षक/शिक्षिका के द्वारा आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य के आलोक में नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

विद्यालय पत्रांक:

दिनांक:

.....
प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर
मोबाईल संख्या:

नोट:- यह आवेदन एवं साक्ष्य का एक पीडीएफ बनाते हुए अनिवार्य रूप से ई-शिक्षकोष पोर्टल पर अवकाश का आवेदन करते समय संलग्न किया जाएगा।